महत्वपूर्ण एवं खास

दो महिला नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण

नारायणपुर (आरएनएस)। जिले में चलाये जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत नक्सलियों पर बढ़ते दबाव एवं शासन की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर तथा नक्सली संगठन की विचारधारा से मोह भंग होने एवं नक्सलियों की गलत नीतियों से असंतुष्ट होकर समाज की मुख्यधारा में जुड़कर सामान्य जीवन यापन करने नक्सली संगठन को छोड़कर 02 महिला नक्सली नमनी मण्डावी पिता स्व.सुकमन मण्डावी एवं बत्ती उसेण्डी पिता भीरू उसेण्डी ने आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में नारायणपुर एसपी यू.उदय किरण के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिये हैं। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार नक्सली कमाण्डर सुमित्रा साहू एवं आदेरबेड़ा मिलिशिया कमाण्डर सामू ने वर्ष 2014-15 में बत्ती उसेण्डी को आदेरबेड़ा पंचायत अंतर्गत आदेरबेड़ा मिलिशिया सदस्य के रूप में संगठन में शामिल किये और भरमार बंदूक दिये। तब से मिलिशिया संगठन में सक्रिय रूप से कार्य कर रही थी।

ग्रामीण अंचलों में पेयजल सुविधाओं का हो रहा विस्तार

रायपुर (आरएनएस)। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरू रूद्रकुमार के निर्देश पर दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में पेयजल सुविधाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है। इसी कड़ी में ग्रामीणों की मांग पर संसदीय सचिव श्री शिशुपाल शोरी की अनुशंसा पर कांकेर कलेक्टर चन्दन कुमार ने आज नरहरपुर विकासखण्ड के ग्राम डुमरपानी के ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु पावर पंप से जीआई पाईप लाईन विस्तार के लिए 12 लाख 37 हजार रूपए स्वीकृति प्रदान की। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ग्राम डुमरपानी के ग्रामीण द्वारा स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ फ्लोराईडयुक्त पेयजल की समस्या के निराकरण के लिए संसदीय सचिव शिशुपाल शोरी तथा कलेक्टर से मुलाकात कर इस समस्या के स्थायी समाधान हेतु पावर पंप से पाईप लाईन विस्तार के लिए अनुरोध किया गया था। उनकी इस समस्या को देखते हुए संसदीय सचिव शोरी की अनुशंसा पर कांकेर कलेक्टर ने तत्काल जीआई पाईप लाईन विस्तार के लिए 12 लाख 37 हजार रूपए की राशि की स्वीकृति दी है।

राजधानी में फिर खत्म हुई वैक्शीन

रायपुर (आरएनएस)। राजधानी रायपुर में कोरोना वैक्सीन खत्म हो जाने के चलते मंगलवार को फिर टीकाकरण का कार्य बाधित रहेगा। सोमवार को 25 सेक्टरों में सिर्फ 300 टीका लगाया गया। जबकि राजधानी में प्रति दिन एक से अधिक वैक्सीन की जरूरत है। ईधर टीक पुनः कब राजधानी पहुंचेगा इसकी कोई जानकारी नही है ऐसे में टीकाकरण केंद्रों में पहुंचने वाले लोगों को जानकारी के अभाव में परेशानी उठानी पड़ सकती है। ज्ञात हो की इसकी पूर्व भी 6 जुलाई को शाम होने से पहले ही शहर में वैक्शीन समाप्त हो गई थी जिसके कारण सात जुलाई को टीकाकरण पूर्णतः बंद था तथा 8 जुलाई से वैक्शीन पहुंचने के बाद पुनः टीकाकरण का कार्य प्रारंभ हुआ था।

ऑनलाइन एवं ऑफ्लाइन कक्षा संचालन के संबंध में वेबीनार आज

रायपुर (आरएनएस)। ऑनलाइन एवं ऑफ्लाइन (मोहल्ला कक्षा) के संचालन के संबंध में मार्गदर्शन देने के लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा 13 जुलाई को दोपहर 12 बजे वेबीनार का आयोजन किया गया है। वेबीनार में जिला शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य डाइट, जिला मिशन समन्वयक और प्रत्येक जिले से एक संकुल समन्वयक शामिल होंगे।

नेटवर्किंग कम्पनी का फिल्ड अफसर ग्राहकों के लोन रूपये लेकर हुआ फरार

गरीब, जरूरतमंद महिलाओं का समूह बनाकर सुक्ष्म ऋण प्रदान करती है कंपनी

» शिकायत पर कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज

रायगढ़। सैटिन क्रेडिट केयर नेटवर्क लिमिटेड का रिजनल मैनेजर किशोर कुमार साहू निवासी ग्राम पोस्ट मनगटा जिला राजनांदगांव द्वारा थाना प्रभारी सिटी कोतवाली रायगढ़ को दिये गये शिकायत पत्र के अनुसार कम्पनी का ब्रंच आफिस कोतरारोड के सुभाष नगर कालोनी में दुर्गा मंदिर के पास स्थित है। कम्पनी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा एनबीएफसी मान्यता प्राप्त है। कंपनी गरीब, जरूरतमंद महिलाओं का समूह बनाकर सुक्ष्म ऋण प्रदान करती है। कम्पनी में कार्यरत जितेन्द्र शर्मा 319 सदस्यो का कार्यभार देखता है जिसका काम सदस्यों का ग्रुप बनाना, उनको जानकरी देना , ग्रुप पास कराना , सदस्यो को विवरण कराना और किश्त की रिकवरी लाना जैसे काम शामिल था। कुछ समय से जितेन्द्र शर्मा रिकवरी ला रहा था लेकिन बांच में जमा नहीं कर रहा था लौकडाऊन के दौरान लाकडाऊन में हूए डिसबर्समेंट में बहुत से क्लाईटो को बरगलाकर जितेन्द्र उनकी पूरी राशि अपने निजी हित में रख लिया। जितेन्द्र शर्मा का रायगढ़ से लैलुगा ट्रांसफर होने पर उनके सदस्यो की जिम्मेदारी दूसरे स्टाफ को सौंपा गया और वो क्लाइंट से मिले और लोन की रिकवरी मांगी तो क्लाइंट ने उसे लोन को जितेन्द्र शर्मा को वापस करने की बात बताये। जब इसकी जानकारी बांच मैनेजर को हुई तो जितेन्द्र शर्मा ने लगभग 97 क्लाइंट का 4,94188/- रुपए को रखना स्वीकार किया और जांच में और रूपए मिलेंगे तो उसे भी दिनांक 11/11/2020 तक जमा कर दूंगा बोला। जितेन्द्र द्वारा दिनांक 11/11/2020 को रूपये जमा नहीं करने पर दिनांक 17/11/2020 को रिजनल मैनेजर द्वारा जितेन्द्र को फोन किया गया तो जितेन्द्र शर्मा चेक क्लीयर हो गया है। एक घंटे में आफिस आ रहा हूं बोला और अपना फोन बंद कर वापस नहीं आया। कम्पनी के तस्दीक पर फिल्ड आफिसर जितेन्द्र शर्मा के द्वारा दिनांक 14.08.2019 से दिनांक 11.11.2020 के मध्य कंपनी के 97 ग्राहकों से कंपनी का 6,94,458 रूपया वसूल कर कंपनी में जमा नहीं करना पाया गया है। कोतवाली पुलिस जितेन्द्र कुमार शर्मा पिता श्याम लाल शर्मा निवासी घरघोड़ा रायगढ़ पर अप.क्र. 990/2021 धारा 409 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कर रही है।

सोनियानगर स्ट्रीट लाईट के नीचे जुआ खेलते 6 जुआरी पकड़ाये, 6 हजार 900 नगद जब्त

रायगढ़। दिनांक 11.07.2021 को थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक मनीष नागर के निर्देशन पर मुखबिर सूचना पर थाने के प्रकधान आरक्षक अनंत तिवारी हमराह आरक्षक हेमप्रकाश सोन, उत्तम सारथी, मनोज पटनायक द्वारा रात्रि गस्त दौरान सोनिया नगर गली में बिजली पोल के नीचे 52 पत्ती ताश से जुआ खेल रहे जुआडियान 01. परस मनेन्दर सिंह पिता एस0एस0 सिंह उम्र 25 वर्ष सा0 कोष्टापारा दरोगामुडा रायगढ 02. प्रमेचंद देवागंन पिता बलदाऊ देवागंन उम्र 22 वर्ष सा0 कोष्टापारा रायगढ ,03. दीपक भाटीया पिता बी0एस0 भाटीया उम्र 29 वर्ष् साकिन कोष्टापारा दरोगामुडा रायगढ , 04. बलीयान सिंह पिता नेपाल सिंह उम्र 45 वर्ष सा0 दरोगामुड़ा कोष्टापारा रायगढ, 05. श्याम गोरख पिता जगदीश गोरख उम्र 25 वर्ष सा0 कोष्टापारा दरोगामुड़ा को घेराबंदी कर पकड़ा गया जिनके कब्जे सामने फड व पास से नगदी रकम 6,900 रूपये 52 पत्ती ताश की जप्ती की गई है। आरोपियों पर थाना कोतवाली में धारा 13 जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।

घर पर अवैध शराब बिक्री की सूचना पर लैलूंगा व कोसीर पुलिस ने की कार्रवाई

रायगढ़। थाना लैलूंगा में पदस्थ उप निरीक्षक जीपी बंजारे एवं हमराह स्टाफ द्वारा ग्राम बुढीकुटेन लैलूंगा में मुखबीर सूचना पर आरोपी जयराम भगत पिता सहदेव भगत उम्र 35 साल सा0 बुढीकुटेन लैलूंगा को उसके घर के सामने अवैध रूप से महुआ शराब बिक्री करने रखा हुआ 06 लीटर महुआ शराब जप्त किया गया है। आरोपी पर धारा 34(2), 59(क) आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है।

कोसीर पुलिस द्वारा दिनांक 11.07.2021 को ग्राम अण्डोला में आरोपी रामगिलास लहरे पिता फिरतु राम लहरे उम्र 37 वर्ष साकिन अण्डोला थाना कोसीर को 10 लीटर महुआ शराब के साथ पकड़ा गया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी घर पर अवैध रूप से शराब बिक्री करता है, रेड कार्रवाई में आरोपी अपने घर से निकालकर आंगन में शराब पेश किया। आरोपी पर धारा 34(2), 59(क) आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया है।

गुम बच्चों की खोज का विशेष अभियानः सात दिनों में 16 बच्चियों की दस्तयाबी में मिली सफलता

» गंभीरता से लिये जा रहें गुम नाबालिगों के रिपोर्ट, पुसौर पुलिस की तत्परता से रिपोर्ट बाद जशपुर से बरामद गुम बालिका

रायगढ़। पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा द्वारा रायगढ़ जिले में एक तरफ अवैध शराब, कबाड़, जुआ सट्टा पर प्रतिबंध लगाने थाना, चौकी प्रभारियों को निर्देशित कर प्रभावी कार्यवाही के लिये अभियान चलाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने गुम बच्चों के परिजनों के चेहरे में मुस्कान लाने गुम नाबालिगों की खोज के लिये विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

पुलिस अधीक्षक के निर्देशों के बाद जिले के विभिन्न थानों में गुम नाबालिगों के संबंध में दर्ज 363 आईपीसी के मामलों को थाना प्रभारियों द्वारा गंभीरता से लिया जा रहा है, रिपोर्ट पंजीबद्ध के तत्काल बाद संदेहियों के ठिकानों पर दबिश दी जा रही है जिससे कई मामलों में पुलिस को राज्य के दिगर जिले व दिगर प्रांत से गुम नाबालिगों की दस्तयाबी में सफलता मिली है। इसी कड़ी में पुसौर पुलिस को गुम बालिका के रिपोर्ट बाद तत्काल कार्यवाही करने में सफलता हाथ आई है, गुम बालिका को पत्थलगांव, जशपुर से बरामद कर लाया गया है।

जानकारी के अनुसार बालिका के पिता दिनांक 11/07/2021 को थाना आकर थाना प्रभारी को बताये कि दिनांक 08/07/2021 को सुबह बालिका घर से स्कूल जाने के नाम से निकली थी और शाम तक वापस नहीं आई, जिसे गांव में खोजबिन करने के बाद अपने रिस्तेदारों में अपने स्तर पर पतासाजी किये नही मिलने पर थाना आये। थाना प्रभारी पुसौर मामले को गंभीरता से लेते हुए अप.क्र. 149/2021 धारा 363 आईपीसी के तहत पंजीबद्ध कर तत्काल सायबर सेल से संपर्क कर बालिका एवं संदेही के मोबाइल की जानकारी लेकर टीम पत्थलगांव, जशपुर रवाना किये। पुसौर पुलिस को बालिका घरजिंयाबथान, पत्थलगांव में संदेही युवक सुखनाथ नागवंशी उम्र 25 साल के कब्जे में मिली जिसे दस्तयाब कर थाना लाया गया। बालिका के कथन, मुलाहिजा पश्चात आरोपी सुखनाथ नागवंशी पिता कुंवर साय नागवंशी घरजिंयाबथान, पत्थलगांव को धारा 366, 376 भादवि, पास्को एक्ट की धारा 4, 6 में गिरफ्तार कर आज रिमांड पर भेजा गया है। विशेष अभियान में दिनांक 05/07/2021 से अब तक थाना सारंगढ़ द्वारा 05 तथा कोसीर, घरघोड़ा और कोतवाली द्वारा 02-02 एवं पुसौर, कोतरारोड़, खरसिया, तमनार,कापू द्वारा 01-01 गुम नाबलिगों कुल 16 गुम बच्चों को दस्तयाब किया गया है, कई थानों से टीम दिगर प्रांत गुम नाबालिगों के लोकेशन के आधार पर खोजबिन में रवाना हुई है।

अमेरी गोठान चारागाह भूमि में पशुओं के लिये उगाया जा रहा है नेपियर रूट एवं सोरघम घास

रायगढ़ । छत्तीसगढ़ शासन के महत्वाकांक्षी योजना नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी योजना के तहत जिला रायगढ़ के विकासखण्ड बरमकेला अंतर्गत ग्राम पंचायत अमेरी के गोठान के चारागाह में मवेशियों के हरा चारा की व्यवस्था के लिए ग्राम पंचायत अमेरी एवं गोठान समिति तथा शारदा स्व-सहायता समूह के सदस्य तथा जागरूक ग्रामीणों के सहयोग से चारागाह भूमि पर 20 डिसमिल पर नेपियर रूट व 25 डिसमिल में सोरघम घास लगाया गया है, जो जल्द तैयार होने की संभावना है। इस घास के उत्पादन से मवेशियों को पौष्टिक चारा प्राप्त होगा और वे स्वस्थ रहेंगें। उत्तम घास की व्यवस्था होगी जिससे रोका-छेका कार्यक्रम भी सफल होगा। जिससे शासन की महत्वाकांक्षी योजना नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी के लक्ष्य को प्राप्त करने में आसानी होगी।

ग्राम पंचायत अमेरी गोठान के उक्त कार्य को सफल बनाने में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नंद कुमार चौबे, जनपद पंचायत बरमकेला मुख्य कार्यपालन अधिकारी नीलाराम पटेल, तहसीलदार अनुज पटेल, नायब तहसीलदार श्रीमती प्रेमा किस्पोट्टा, गोठान नोडल अधिकारी (आरएईओ) पी.आर.राज. एवं अन्य अधिकारियों का मार्गदर्शन एवं विशेष सहयोग रहा।

टीपाखोल और कोकड़ीतराई में अतिक्रमित भूमि पर नियमानुसार कार्यवाही जारी

» तहसीलदार रायगढ़ ने दी जानकारी

रायगढ़ । टीपाखोल तथा कोकड़ीतराई में अतिक्रमित भूमि पर कार्यवाही के संबंध में प्रभारी तहसीलदार रायगढ़ विक्रांत राठौर से प्राप्त जानकारी अनुसार कार्यालय कार्यपालन अभियंता जल संसाधन विभाग रायगढ़ द्वारा दिनांक 18 फरवरी 2021 को जारी पत्र में टीपाखोल जलाशय के नहर की अतिक्रमित भूमि राजस्व विभाग को सौंपने का उल्लेख किया है। जिसके लिये सचिव छ.ग.शासन जल संसाधन विभाग से पत्र व्यवहार किया गया है। ताकि अतिक्रमितों को व्यवस्थापित किया जा सके। ज्ञातव्य है कि टीपाखोल नहर क्षेत्र नगरीय क्षेत्र है जहां 152 प्रतिशत की दर से व्यवस्थापन संबंधी नियम है एवं अतिक्रमणकर्ता लंबे समय से आवासीय एवं व्यवसायिक प्रयोजनार्थ निवासरत है। वहीं कोकड़ीतराई जलाशय के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन संभाग रायगढ़ द्वारा तहसीलदार रायगढ़ को संबोधित पत्रों में अर्जित भूमि का सीमांकन कर कब्जा वापस दिलाने संबंधी पत्र लिखा गया है। तदनुसार कार्यवाही जारी है। कोकड़ीतराई जलाशय ग्रामीण क्षेत्र है तथा अतिक्रमणकारियों के द्वारा एक वर्ष के भीतर ही अतिक्रमण किया गया है।

इस प्रकार नियमानुसार कार्यवाही उक्त दोनों प्रकरणों में जल संसाधन विभाग द्वारा वांछित अनुतोष के आधार पर किया जा रहा है।

लेमरू एलिफेंट रिजर्व का प्रस्ताव, अंतिम फैसला होगा मंत्रिमंडल में

कोरबा (आरएनएस)। कोरबा सहित आसपास के अन्य जिलों के जंगलों को मिलाकर प्रस्तावित लेमरू एलिफेंट रिज़र्व का मामला प्रदेश भर में चर्चा में है, मगर राज्य सरकार फ़िलहाल यही कह रही है कि लेमरू रिज़र्व को लेकर जो भी प्रस्ताव होगा, उस पर अंतिम फैसला मंत्रिमंडल में किया जायेगा। वन विभाग द्वारा कांग्रेस के कुछ विधायकों के सहारे लेमरू रिजर्व को छोटा करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है, यह बात मीडिया में आते ही प्रदेश भर में इस मुद्दे पर चर्चा छिड़ गई है। पर्यावरण विद और वन्य प्राणी संरक्षण से जुड़े कार्यकर्ता भी लेमरू रिजर्व को छोटा करने के खिलाफ हैं।

❐ **हसदेव नदी के अस्तित्व पर होगा खतराः-** लेमरू एलिफेंट रिजर्व के लगभग 2 हजार वर्ग किलोमीटर के दायरे को एक चौथाई हिस्से तक सीमित करने के प्रयास शुरू हो गए हैं, इसके लिए वन विभाग ने भूमिका बनानी शुरू कर दी है। पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रहे अधिवक्ता सुदीप वास्तव का कहना है कि ऐसा इस इलाके में कोयला खदाने खोलने के लिए किया जा रहा है। उनके मुताबिक लेमरू क्षेत्र में अगर कोयला खदानें खोली गई तो यहां से होकर गुजरने वाली हसदेव नदी और बांगो बांध का अस्तित्व समाप्त हो जायेगा, इसके दूरगामी असर पड़ेंगे और जांजगीर तथा रायगढ़ जिले तक की सिंचाई व्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा।

❐ **10 प्रतिशत कोयले के लिए हो रहा षड्यंत्रः-**सुदीप त्रिपाठी बताते हैं कि छत्तीसगढ़ की धरा में 58 हजार मिलियन टन कोयले का स्टॉक है। इनका 10 प्रतिशत कोयला ही हसदेव अरण्य क्षेत्र में है। वर्तमान में 158 मिलियन टन कोयले की ही प्रतिवर्ष खुदाई हो रही है। भविष्य में अगर 500 मिलियन टन की खुदाई हर वर्ष किया भी जाये तो कोयले का स्टॉक खत्म होने में पचासों साल लग जायेंगे। ऐसे में अगर हसदेव लेमरू क्षेत्र का कोयला खदान छोड़ भी दिया जाये तो क्या दिक्कत है।

❐ **अधिकारी सरकार को कर रहे हैं प्रेरितः-**गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में बतौर अधिवक्ता प्रेक्टिस कर रहे सुदीप वास्तव पूर्व में विपक्ष की भूमिका निभा रही कांग्रेस पार्टी के साथ कोयला खदान और पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर अदालती लड़ाई लड़ चुके हैं, मगर अब सत्ता सुख भोग रही कांग्रेस के लेमरू के मुद्दे पर रुख में बदलाव के सवाल पर सुदीप का कहना है कि उद्योगपति अडानी की रूचि को देखते हुए संबंधित अधिकारी सरकार को प्रेरित कर रहे हैं। उधर जिन विधायकों का इलाका नहीं है, वे लेमरू अभ्यारण्य का एरिया कम करने की बात कह रहे हैं। वहीं डॉ चरण दास महंत, टीएस सिंहदेव और लालजीत राठिया जैसे नेताओं की अपील को तवज्जो नहीं दी जा रही है।

❐ **हाथियों का पुराना रहवास है छत्तीसगढ़ः-** छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन, के संयोजक अलोक शुक्ला का कहना है कि लोग हाथियों को झारखण्ड और उड़ीसा से आना बता रहे हैं, जबकि 1935 से पहले तक छत्तीसगढ़ हाथियों के रहवास का इलाका रहा है। लगातार हो रहे हाथी और मानव के बीच के संघर्ष को ख़त्म करने के लिए हमें हाथियों का प्राकृतिक रहवास तैयार करना ही होगा। बीते दो दशक में छत्तीसगढ़ में खनिज का उत्खनन और दोहन ही यहां के विकास का मॉडल बन गया है। हमें यह मानकर चलना होगा कि हाथी यहां से जाने वाले नहीं हैं। एक तरफ हाथियों की मौत हो रही है तो दूसरी ओर लोग भी मारे जा रहे हैं। इसे रोकने के लिए एलिफेंट रिजर्व बहुत ही जरुरी है। उन्होंने सरकार की यह कहते हुए आलोचना की कि विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस ने अडानी के एमडीओ की खिलाफत की थी, आज अधिकांश कोयला खदाने अडानी के हिस्से में जा रहीं हैं और आज कांग्रेस सरकार में रहकर भी कुछ नहीं कर रही है।

दो स्टाम्प वेन्डरों के लाईसेंस निलंबित

» अधिक मूल्य पर स्टाम्प बेचने की शिकायत पर की गई कार्रवाई

रायपुर (आरएनएस)। राज्य शासन द्वारा निर्धारित दर से अधिक कीमत पर स्टाम्प बेचने वालों पर कार्यवाही की जा रही है। वाणिज्यिक कर पंजीयन सचिव द्वारा भी इस संबंध में जिला पंजीयकों को कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं। पक्षकारों से प्राप्त शिकायतें और राज्य शासन के निर्देश के तारतम्य में बलौदाबाजार के जिला पंजीयक द्वारा तहसील परिसर और कलेक्ट्रेट परिसर स्टाम्प वेंडरों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान दो स्टाम्प वेंडरों द्वारा अधिक राशि पर स्टाम्प का विक्रय किया जाना पाया गया। बलौदाबाजार तहसील कार्यालय परिसर में कार्यरत दो स्टाम्प वेन्डरों का लाईसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबित वेन्डरों में रामप्रकाश बघेल एवं यशवन्त खुन्टे शामिल हैं। जिला पंजीयक ने प्राप्त शिकायतों की जांच के बाद आज निलम्बन की कार्रवाई की है। स्टाम्प वेन्डरों पर पक्षकारों से निर्धारित मूल्य से ज्यादा कीमत वसूलने की शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायतों की जांच में आरोप प्रारंभिक रूप से सही पाये गये हैं। बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के कलेक्टर ने कहा कि स्टाम्प में जो मूल्य अंकित होते है, वेन्डरों को उसी मूल्य पर पक्षकारों को बेचा जाना है। इससे अधिक मूल्य पर यदि कोई वेन्डर बेचने का प्रयास करे तो जिला पंजीयक में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480